आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
2/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 29/13** **शिवकुमारी देवी बनाम बिहार सरकार(अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1183 दिनांक 11.4.13 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 2.3.13 को पानापुर प्रखंड अंतर्गत सतजोड़ा पंचायत का औचक निरीक्षण अनुमंडल स्तरीय जॉच दल के द्वारा किया गया। जॉच के कम में शिवकुमारी देवी, जन वितरण प्रणाली विकेता अनुज्ञप्ति सं0 29/07 पंचायत सतजोड़ा प्रखंड पानापुर की दुकान से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गयी : 1. विकेता अपने व्यापार स्थल से अनुपस्थित पाए गए। 2. विकेता के द्वारा 27.2.13 को 1050.50 लीटर किरासन तेल का उठाव किया गया, लेकिन जॉच की तिथि तक वितरण प्रारंभ नहीं किया गया था। 3. किरासन तेल भंडार एवं वितरण के सत्यापन में 50.50 लीटर किरासन तेल कम पाया गया। 4. विकेता के द्वारा उपभोक्ता सूची, कैशमेममो, प्रपत्र–8 एवं प्रपत्र–20 उपलब्ध नहीं कराया गया। 5. किरासन तेल ढाई लीटर 45 रूपया में वितरण किया जाता है। 6. माह नवम्बर, 2012 से अभी तक खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। 7. अन्त्योदय योजना में 25 किलो खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, जिसमें 10 किलो गेहूँ एवं 15 किलो चावल एक सौ रूपया में दिया जाता है। 8. बी.पी.एल. योजना में 10 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल 150 रूपया लेकर दिया	

जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 642 दिनांक 5.3.13 के द्वारा विकेता से पाई गयी अनियमितताओं के लिए कारणपृच्छा किया गया, जिसके आलोक में विकेता के द्वारा अपना जवाब दिया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता के जवाब को असंतोषजनक पाते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गयी।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 1183 दिनांक 11.4.13 में अंकित आरोप के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है:

1. जॉच की तिथि को विकेता अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं थे, बल्कि तबीयत खराब होने की वजह से उनके द्वारा प्राधिकृत सोनू कुमार सिंह उपस्थित थे, जिनके द्वारा निरीक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग किया गया।
2. दिनांक 27.2.13 को हनुमान वायल से किरासन तेल का उठाव किया गया एवं भौतिक सत्यापन नहीं होने की वजह से जॉच की तिथि तक वितरण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था।
3. 1050.50 लीटर किरासन तेल का उठाव कर वितरण के पश्चात् कूपन कार्यालय में जमा कर दिया गया है।
4. कैशमेमो अनिवार्य रूप से सभी उपभोक्ताओं को दिया जाता है। साथ ही प्रपत्र–8 और प्रपत्र–20 भी अपने जवाब के साथ विकेता के द्वारा संलग्न किया गया था।
5. विकेता के द्वारा सरकारी दर पर उचित मात्रा में निगरानी समिति के देख–रेख में वितरण किया जाता है।
6. माह नवम्बर एवं दिसम्बर का खाद्यान्न उपभोक्ताओं के बीच कराकर कूपन कार्यालय में जमा कर दिया गया है। माह जनवरी का खाद्यान्न का उठाव नहीं होने के कारण वितरण नहीं किया जा सका था।
7. विकेता के द्वारा 21 किलो चावल एवं 14 किलो गेहूँ 91 रूपया लेकर निगरानी समिति की देख–रेख में वितरण कार्य किया जाता है, जिसकी छायाप्रति विकेता के द्वारा समर्पित किया गया था।
8. बी.पी.एल. में 10 किलो गेहूँ एवं 15 किलो चावल सरकारी दर पर 153 रूपया 90 पैसा लेकर निगरानी समिति के देख–रेख में उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया

जाता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण में जॉच के समय का उल्लेख नहीं किया गया है। जॉच के समय विक्रेता के द्वारा अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति से जॉच कार्य संभव हो सका। जहॉ तक विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण कम मात्रा में अधिक मूल्य लेकर करने के आरोप का प्रश्न है, उस बिन्दु पर किसी भी शिकायतकर्त्ता के नाम का उल्लेख नहीं होना भी जॉच दल के प्रतिवेदन को कमजोर कर देता है। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ कूपन, प्रपत्र–20 एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पानापुर तथा संबंधित पंचायत सतजोड़ा के मुखिया एवं सरपंज के द्वारा हस्ताक्षरित वितरण पंजी की प्रति संलग्न की गयी है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्व लगाए गए आरोप सही नहीं है तथा अनुज्ञापन पदाधिकारी का आदेश एक speaking order नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1034 दिनांक 17/12/14

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को उक्त LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधिशाखा
सारण, छपरा